संख्या– /XVIII(II)/2020–01(23)/2019

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाकः 05 मई, 2020

विषय–उदय समजोत्थान समिति एल0 कैमिस्ट रोड़ खटीमा उधमसिंहनगर को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु 2.6405 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5457/सात–312/2018–19, दिनांक 03 अगस्त, 2019, पत्र संख्या–2376/भूलेख/II/VIII(312)/2019–20, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 तथा पत्र संख्या–5491/भूलेख अनु0/II/VIII(312)/2019–20, दिनांक 10 जनवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाजोत्थान समिति एल0 कैमिस्ट रोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर को ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर में माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर विद्यालय खोले जाने हेतु ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर के खाता सं0–00091 के खसरा न0–10 रकबा 4.1000 है0 मध्ये रकबा 2.05 है0 एवं खाता सं0–00205 के खसरा नं0–54 रकबा 1.1810 है0 मध्ये कुल रकबा 0.5905 है0 कुल रकबा 2.6405 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाजोत्थान समिति एल0 कैमिस्ट रोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर को ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर में माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर विद्यालय खोले जाने हेतु ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर के खाता सं0–00091 के खसरा न0–10 रकबा 4.1000 है0 मध्ये रकबा 2.05 है0 एवं खाता सं0–00205 के खसरा नं0–54 रकबा 1.1810 है0 मध्ये कुल रकबा 0.5905 है0 कुल रकबा 2.6405 है0 भूमि कय की अनुमति विद्यालयी शिक्षा विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(I)(III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के

....2

अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी शिक्षण संस्थान के प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

3– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर विद्यालय खोले जाने हेतु ही किया जायेगा।

8– स्थल पर निर्माण प्रचलित उप विधि के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।

9– शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान सीडा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करना आवश्यक होगा।

10– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

12– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो सके इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

....3

14– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।

15– सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधि (एन.जी. टी.) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

16– सम्बन्धित संस्था द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– सम्बन्धित संस्था द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

19– क्रय की जा रही भूमि के विक्रय अभिलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

20– संस्था के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र दिया जायेगा।

21– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–246(1)/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
4– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– अध्यक्ष, उदय समाजोत्थान समिति एल0 कैमिस्ट रोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।